न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवम् पदेन सहायक कलक्टर श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी :– यशपाल आहूजा आर.ए.एस.

अनवान :– राजस्व वाद संख्या :– 168/2017

1. कृष्ण राम पुत्र श्री जयमलराम जाति जाट साकिन महियांवाली तहसील व जिला श्रीगंगानगर।

– – वादी

–:: बनाम ::–

1. स्टेट ऑफ राजस्थान जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर।

– – प्रतिवादी

दावा अन्तर्गत धारा 88 आर.टी.ए. बाबत घोषणा

–:: उपस्थित अभिभाषक ::–

1. श्री संजय जनवेजा वादी
2. पैरोकार राज

– :: निर्णय ::–

दिनांक :– 15.09.2017

वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88, बाबत घोषणा इस न्यायालय में प्रस्तुत किया जिसका संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है, कि चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/31 (मुताबिक जमाबन्दी सम्वत् 2067–2070) का मुरब्बा नम्बर 15 की कुल 0.456 हैक्टर बारानी कृषि भूमि में से 1/7 हिस्सा व इसी चक के खाता संख्या 45/32 के मुरब्बा नम्बर 15 कि कुल 2.024 हैक्टर कृषि भूमि में से 1/4 हिस्सा कृषि भूमि वादी के नाम से दर्ज कागजात माल है। उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधाकृष्ण अंकित हो गया है। नकल जमाबन्दी संलग्न वाद है।

वादी का सही व पूरा नाम कृष्णराम है तथा वादी के वोटर पहचान पत्र आधार कार्ड व अन्य जमीन की जमाबन्दी में सही नाम कृष्णराम अंकित है। नकल पहचान पत्र आधार कार्ड व अन्य जमीन की जमाबन्दी संलग्न वाद पत्र है।

सरपंच ग्राम पंचायत द्वारा भी यह प्रमाण पत्र (तस्दीक) जारी की गई है, कि वादी का सही नाम कृष्णराम है। वादी का घर पर तथा गांव में राधाकृष्ण नाम से पुारा जाता था इसलिये सहवन से उक्त भूमि के राजस्व रिकार्ड में वादी का नाम राधाकृष्ण अंकित हो गया है। जबकि सही व पूरा नाम कृष्णराम है। सरपंच द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र संलग्न वाद पत्र है।

उक्त नाम राधाकृष्ण वादी कृष्णराम का ही दूसरा नाम है। जो घर पर पुकारा जाता है। जबकि सही नाम कृष्णराम है, वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 1 को कई बार राजस्व रिकार्ड में वादी का सही नाम दर्ज करनें के लिये आवेदन/निवेदन किये है। मगर उन्होनें वादी का नाम सही नाम दर्ज करने से इन्कार कर दिया है। इस कारण यह वाद पत्र लाना आवष्यक हो गया है तथा यही वाद कारण है।

वादी नें माननीय न्यायालय में इसी सम्बंध में एक वाद संख्या 102/2017 अनवानी कृष्णराम बनाम स्टेट प्रस्तुत किया था जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 13.06.2017

लगातार 2

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)

को निर्णय पारित किया जाकर वादी की भूमि चक चक 9 एम.एल. का खाता संख्या 20/13 में वादी का नाम कृष्णराम घोषित कर दिया था मगर सहवन से वादी नें अपनें उक्त वाद पत्र में खाता संख्या 44 व 45 की भूमि का इन्द्राज नहीं किया इसलिये यह वाद माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है।

अतः वाद पत्र पेश कर निवेदन है, कि वाद पत्र वादी स्वीकार किया जाकर वादी का नाम कृष्णराम घोषित किया जावे तथा वादी की कृषि भूमि वाके चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/31 व खाता संख्या 44/32 में वादी के हिस्सा की भुमि में वादी का नाम राधाकृष्ण के स्थान पर कृष्णराम दर्ज करनें का आदेष फरमाया जावे।

वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिऐ सम्मन तलब किया गया प्रतिवादी की और से तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर द्वारा जबाब पेश किया गया जिसके अन्तर्गत कथन किया गया कि इसी वादी द्वारा पूर्व में माननीय न्यायालय में वाद संख्या 102/2017 में वादी का नाम दुरूस्त किया जा चुका है शेष खातों में भी वादी का नाम दुरूस्त संलग्न दस्तावेजो के आधार पर किया जाता है जो कोई एतराज नहीं है।

चुँकि प्रकरण में कोई प्रतिवाद नहीं होनें के कारण तनकियात नहीं बनाई गई, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता की बहस को सुना गया, वादी के सुयोग्य अधिवक्ता द्वारा वाद पत्र में वर्णित कथनों को दोहराते हुए कथन किया कि वाद पत्र के समर्थन में वाद पत्र के साथ ही साक्ष्य स्वरूप अपना तथा संरपंच ग्राम पंचायत महियांवाली द्वारा जारी प्रमाण पत्र तथा इस न्यायालय के पूर्व वाद संख्या 102/2017 में पारित निर्णय दिनांक 13.06.2017 की प्रति पेश कर वादी को अनुतोष प्रदान किया जानें हेतु निवेदन किया गया।

बहस पर मनन किया पैरोकार राज को सूना गया तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन वाद वादी पोषणीय पाये जानें पर स्वीकार किया जाना न्यायोचित पाया गया।

–:: आदेश ::–

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के सपठित राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अन्तर्गत चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के चक 9 एम.एल. तहसील व जिला श्रीगंगानगर के खाता संख्या 44/31 व खाता संख्या 44/32 में वादी का नाम राधाकृष्ण के स्थान पर कृष्णराम दर्ज करनें का आदेश दिया जाता है।

तहसीलदार (राजस्व) श्रीगंगानगर को आदेशित किया जाता है कि उक्त वर्णित भूमि समस्त प्रकार से भार मुक्त होनें की दशा में उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गैरमुमकिन) तथा हिस्सा कस्सी पूर्वानुसार ही रहेगी जिसमें किसी प्रकार का कोई बदलाव नहीं किया जावेगा।

खर्चा फरीकैन अपना–अपना वहन करेगें। आदेशानुसार पर्चा डिक्री जारी की जावे। पत्रावली निर्णय शुमार होकर बाद तकमील दफ्तर दाखिल हो।

आदेश आज दिंनाक 15.09.2017 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(यशपाल आहूजा)
उपखण्ड अधिकारी एवम्
पदेन सहायक कलक्टर
श्रीगंगानगर